Coal India Supports Skill India

नार्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
(एक मिनी रत्न कम्पनी)
मानव संसाधन एवं विकास
सी. ई. टी. आई., सिंगरौली
पो.आ. सिंगरौली कोलियरी
जिला–सिंगरौली (म.प्र.)– 486889
दूरभाष– 07805 266961 फैक्स– 07805 266652

NORTHERN COALFIELDS LIMITED
(A Mini Ratna Company)
Human Resource and Development
Central Excavation Training Institute
P.O. Singrauli Colliery
Distt. Singrauli, M.P. – 486889
Tel: 07805-266961 , Fax: 07805 – 266652

एनसीएल/मानव संसाधन विकास/शिक्षुता/अधिसूचना/17/ 1504 तारीख:24/02/2017

अधिसूचना

नार्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एक मिनी रत्न कंपनी), कोल इंडिया लिमिटेड (एक 'महारत्न' कंपनी) की एक सहायक कंपनी है। नार्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में संचालित अपनी विभिन्न इकाइयों में शिक्षुता प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण देने हेतु आवेदन आमंत्रित करती है।

शिक्षुता प्रशिक्षु अधिनियम 1961 ,शिक्षुता प्रशिक्षु नियम 1992 और संशोधन अधिनियम 2014 तहत कंपनी सभी पात्र एवं इच्छुक भारतीय नागरिकों से शिक्षुता प्रशिक्षुओं के रूप में एक वर्ष प्रशिक्षण लेने हेतु आवेदन आमंत्रित करती है।

क्र. सं.	ट्रेड	रिक्तियां				कुल रिक्तियां	आयु सीमा	न्यूनतम पात्रता
		अनारक्षित	अन्य पिछड़ा वर्ग	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति		न्यूनतम-18 वर्ष एवं अधिकतम- 24 वर्ष दिनांक 01/04/2017 तक (अनुसूचित जाति/ जनजाति के लिए आयु में 5 वर्ष की छूट,एवंअन्य पिछड़ा वर्ग (NCL) के लिए आयु में 3 वर्ष की छूट	
1	फीटर	134	36	30	40	240		10 वीं पास और आई टी आई पास फिटर ट्रेड में (NCVT या SCVT मान्यता प्राप्त संस्थान से)
2	वेल्डर	27	7	6	8	48		8 वीं पास और आई टी आई पास वेल्डर ट्रेड

							(आरक्छित सीटों में)।	में (NCVT या SCVT मान्यता प्राप्त संस्थान से)
3	इलेक्ट्रेशियन	81	21	18	24	144		10 वीं पास और आई टी आई पास इलेक्ट्रेशियन ट्रेड में (NCVT या SCVT मान्यता प्राप्त संस्थान से)
Total						432		------------------------

एनसीएल प्रबंधन बिना किसी पूर्व सूचना के शिक्षुता प्रशिक्षण की सीटों को किसी भी समय(स्तर पर) बढ़ा या घटा सकता है या पूरे शिक्षुता प्रशिक्षण कार्यक्रम को रद्द भी कर सकता है।

प्रत्येक आवेदक को **DGET** वेबसाइट www.apprenticeship.gov.in पर ऑनलाइन रजिस्टर करना होगा तथा अपरेंटिस प्रोत्साहन योजना **(APY)** के उम्मीदवार के रूप में एन.सी.एल. में शिक्षुता प्रशिक्षण के लिए आवेदन करना होगा।

अनिवार्य योग्यता:

8 वीं / 10 वीं पास और संबंधित ट्रेड अर्थात इलेक्ट्रीशियन, फिटर या वेल्डर में आई टी आई पास प्रमाण पत्र, एन.सी.वी.टी या एस.सी.वी.टी. मान्यता प्राप्त संस्थान से।

आवेदन प्रक्रिया:

1. आधिकारिक वेबसाइट www.apprenticeship.gov.in पर जाएं।
2. वेबसाइट पर अपरेंटिस टैब के तहत अपरेंटिस रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करें और पंजीकरण करें, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन बाद आवेदक को उसके मेल पते पर एक स्वचालित मेल से पंजीकरण संख्या प्राप्त होगी।

3. ऑनलाइन पंजीकरण के बाद, सम्बंधित ट्रेड में प्रशिक्षण हेतु पोर्टल पर नार्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एनसीएल), सिंगरौली मध्य प्रदेश के लिए आवेदन करें।
4. एनसीएल, सिंगरौली में शिक्षुता प्रशिक्षण के लिए ऑनलाइन सफलतापूर्वक आवेदन करने के बाद आवेदक 8वीं/10वीं, सम्बंधित ट्रेड में आई टी आई पास प्रमाण पत्र/अंकपत्र , जाति प्रमाण पत्र एवं आधार कार्ड की स्वयं-सत्यापित प्रतियों के साथ **Annexure I**(संलग्न) भर कर एक लिफ़ाफे में डाल कर निम्नलिखत पते पर भेजें। लिफ़ाफे पर "(सम्बंधित ट्रेड का नाम) ट्रेड अपरेंटिस के लिए आवेदन" लिखा हो और इसे स्पीड पोस्ट या साधारण डाक (केवल भारतीय डाक) के माध्यम से भेजें।

पता-: महाप्रबंधक (मानव संसाधन विकास), सी.ई.टी.आई., एनसीएल मुख्यालय, सिंगरौली (मध्य प्रदेश) पिन कोड- 486889।

आवेदन दिनांक **13/04/2017** सायं **5** बजे तक ही स्वीकार्य किये जायेंगे।

5.आरक्षण उपरोक्त उल्लेखानुसार दिया जायेगा।

सामान्य निर्देश:

1. उम्मीदवार आवेदन जमा करने से पहले शैक्षिक योग्यता और अन्य पात्रता मानदंड की जानकारी के लिए ध्यान से पूर्ण विज्ञापन को पढ़ें। विज्ञापन अधिसूचना दो भाषाओं अर्थात अंग्रेजी और हिंदी में जारी की गयी है और किसी भी अस्पष्टता या भ्रम की स्थिति के मामले में, अधिसूचना का अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा।
2. उल्लेखित ट्रेडों में प्रशिक्षण कोयला खदान परिचालन और रखरखाव गतिविधियों में है। अतः खान(खदान) (संशोधन) अधिनियम 1983 के अनुसार, सोलह वर्ष से कम उम्र के उम्मीदवार शिक्षुता प्रशिक्षण के लिए आवेदन करने के पात्र नहीं हैं।
3. शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवारों का प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु चयन प्रशिक्षु अधिनियम/नियम, खान/खदान अधिनियम/नियम और विनियम के दिशा निर्देशों के अनुसार किया जायेगा हैं। शारीरिक रूप से विकलांग वर्ग के उम्मीदवारों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है।
4. ओबीसी श्रेणी में लाभ लेने के लिए, उम्मीदवार को सरकार द्वारा निर्धारित प्रोफार्मा में जारी एक नवीनतम जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। जिसमे ये भी उल्लेखित हो की वे क्रीमी लेयर से सम्बंधित नहीं हैं जैसा की कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार द्वारा जारी OM No.36012/22/93-Estt.(SCT) दिनांक 08.09.1993 अनुसूची के कॉलम **3** में वर्णित है।ओबीसी वर्ग से संबंधित लेकिन क्रीमी लेयर में पड़ने वाले उम्मीदवार ओबीसी आरक्षण के लाभ के हकदार नहीं हैं।ऐसे ओबीसी वर्ग के उम्मीदवार "अनारछित" श्रेणी में आवेदन कर सकते हैं।
5. उम्मीदवार के पास दिनांक **01/04/2017** तक निर्धारित योग्यता और उम्र होनी चाहिए।

6. अन्य सभी नियम जो एनसीएल के इस शिक्षुता प्रशिक्षण कार्यक्रम (शिक्षुता प्रशिक्षण योजना) की अधिसूचना में उल्लेखित नहीं है, शिक्षुता प्रशिक्षु अधिनियम, **1961** (संशोधन अधिनियम **2014**) और शिक्षुता नियम, **1992** द्वारा निर्देशित होंगें।
7. ऐसे उम्मीदवार जो एक बार शिक्षुता प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं आवेदन करने के पात्र नहीं हैं।
8. चयन प्रक्रिया हेतु आवेदकों को कोई दैनिक भत्ता या यात्रा भत्ता भुगतान नहीं किया जाएगा।
9. आवेदक का स्वास्थ्य शिक्षुता प्रशिक्षु अधिनियम **1961** (संशोधन सहित) के अनुसार होना चाहिए और प्रशिक्षण प्रारंभ से पूर्व आवेदक को दिए गए प्रारूप के अनुसार सक्षम चिकित्सा अधिकारी से जारी स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
10. मेरिट सूची प्राप्त आवेदनों में से तैयार की जाएगी। मेरिट पूरी तरह से आई.टी.आई. में प्राप्त अंकों के आधार पर बनाई जाएगी इस आधार पर बनी मेरिट में यदि दो या उससे अधिक उम्मीदवार अंकों के आधार पर सामान आते हैं तो अधिक आयु वाले उम्मीदवार (**8**वीं/**10**प्रमाण पत्र में उल्लेखित जन्म तिथि के अनुसार) को प्राथमिकता दी जाएगी (मेरिट में ऊपर रखा जायेगा)।
11. प्रशिक्षुओं को किसी भी हाल में एनसीएल के प्रतिष्ठानों में से किसी में भी कर्मचारी के रूप अवशोषित/स्वीकार नहीं किया जाएगा और प्रशिक्षु किसी भी स्थिति/परिस्थिति में एनसीएल में रोजगार के लिए दावा नहीं करेगा। रोजगार के लिए इस तरह के किसी भी दावे पर विचार नहीं किया जाएगा। सभी उम्मीदवारों को जिन्हें प्रशिक्षण हेतु लिया जायेगा उन्हें या अभिभावक (नाबालिग़ के लिए) एक नोटरी शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा (रू.**10** के स्टाम्प पर)कि वे किसी भी रूप में एनसीएल में रोजगार का दावा नहीं प्रस्तुत करेंगे। (प्रारूप प्रशिक्षण प्रारंभ होने के समय में दिया जाएगा)।
12. प्रशिक्षु को वृत्तिका सीधे उनके आधार लिंक्ड बैंक खाते में भारत सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अधिसूचनाओ के अनुसार दी जाएगी।
13. उम्मीदवारों को वैध और सक्रिय मोबाइल नंबर तथा ईमेल पता देना होगा जो की भविष्य की सभी आवधिक नोटिस और अन्य संचार के लिए कम से कम अगले एक वर्ष के लिए वैध/सक्रिय होना   चाहिए।
14. बाहरी दबाव या अन्य किसी भी प्रकार की सिफ़ारिश करने या कराने वाले उम्मीदवार को चयन प्रक्रिया हेतु अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा। प्रशिक्षण हेतु चयन प्रक्रिया सिर्फ और सिर्फ योग्यता के आधार होती है अतः उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है की वे चयन हेतु किसी भी प्रकार के असंवैधानिक या असामाजिक तत्वों से दूर रहें।

15. प्रशिक्षुओं को उनके शिक्षुता प्रशिक्षण, वृत्तिका, छुट्टीयों, उपस्थिति, शिक्षुता प्रशिक्षण की डायरी आदि के लिए के लिए एनसीएल की विभिन्न परियोजनाओं के पूरे प्रशासनिक नियंत्रण में रखा जाएगा।

16. किसी भी प्रकार के तथ्यों को छुपाना या गलत जानकारी देना या फ़र्ज़ी प्रमाण पत्र/दस्तावेज़ प्रस्तुत करने वाले उमीदवार की उम्मीदवारी अस्वीकृति कर दी जाएगी।

17. शिक्षुता प्रशिक्षुओं के प्रशिक्षण के नियमों या शर्तों में किसी भी प्रकार बदलाव किया जा सकता है और वो बदलाव हर स्थिति में मान्य होगा।एनसीएल किसी भी रूप में इस विज्ञापन नोटिस की शर्तों या नियमों में जरूरी परिवर्तन / संशोधन करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। शुद्धिपत्र एनसीएल वेबसाइट (**www.nclcil.in**) पर प्रकाशित किया जाएगा।

18. चयन के बाद शिक्षुता प्रशिक्षुओं(अभिभावक नाबालिग़ के लिए) और महाप्रबंधक (मानव संसाधन विकास), एनसीएल के बीच शिक्षुता प्रशिक्षण अनुबंध किया जायेगा और शिक्षुता प्रशिक्षण के क्षेत्रीय निदेशालय के अनुमोदन के लिए पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा।

19. शिक्षुता प्रशिक्षण से सम्बंधित किसी भी प्रकार के विवाद का निपटारा केवल जिला सिंगरौली की अदालतों अधीन किया जाएगा।

20. कंपनी के पास किसी आकस्मिक स्थिति में शिक्षुता प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षुओं के चयन के लिए किसी भी अन्य वैकल्पिक और वैध तरीके को अपनाने का अधिकार होगा।

21. प्रशिक्षुओं को एन.सी.एल. में शिक्षुता प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु किसी भी प्रकार हॉस्टल गेस्टहाउस,क्वार्टर आदि में रहने की व्यवस्था नहीं प्रदान की जायगी।

<u>आवेदन अस्वीकृति-:</u>

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है के वे आवेदन करने से पूर्व अधिसूचना को ध्यान से और अच्छी तरह से पढ़ लें। अन्यथा आवेदन को निम्लिखित एक या अधिक कारणों से अस्वीकार किया जा सकता है:

i. अपूर्ण आवेदन।
ii. दिनांक **01/04/2017** तक निर्धारित योग्यता का नहीं होना है।
iii. आयु अधिक या कम होना या जन्म तिथि नहीं भरी होना या गलत भरा होना।
iv. कलर फोटो के बिना आवेदन, टोपी, काले चश्मे पहनने के साथ कलर फोटो, विकृत फोटो या न पहचानने योग्य या अस्पष्ट फोटो का होना।
v. उम्मीदवार का **Debarred** सूची में नाम होना।
vi. कोई अन्य अनियमितता भी आवेदक की उम्मीदवारी निरस्त कर सकती है।

vii. केवल एक ही आवेदन पर विचार किया जाएगा। एक ही उम्मीदवार द्वारा कई आवेदन प्राप्त होने की स्थिति में उम्मीदवार की उम्मीदवारी किसी भी सूचना के बिना खारिज कर दी जाएगी।

viii. यदि उमीदवार नाम या उसके पिता के नाम या जन्मतिथि में **8वीं/10वीं** के प्रमाण पत्र या आई.टी.आई प्रमाण पत्र या आवेदन पत्र (**Annexure I**) या अपरेंटिस पोर्टल पंजीकरण में भिन्न-भिन्न(समान नहीं होना) होता है तो आवेदन निरस्त कर दिया जायेगा ।

सभी आवश्यक संलग्नकों के साथ आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि दिनांक **13/04/2017** सायं **5** बजे तक ही है।

24/2/2017

(एस के झा)

महाप्रबंधक(मा.सं.वि)एन.सी.एल

प्रति सादर सूचनार्थ :

1. अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, एनसीएल
2. निदेशक- कार्मिक/तक.सञ्चालन/वित्त/तक.योजना-परियोजना,एनसीएल
3. मुख्य सतर्कता अधिकारी, एनसीएल

वितरण

1. महाप्रबंधक सभी क्षेत्र (परियोजना)/ सभी विभागाध्यक्ष मुख्यालय / प्रभारी सी.डब्लू.एस, एन.एस.सी, आई.डब्लू.एस.एस. कें.भंडार, कें. चिकित्सालय सिंगरौली सभी नोटिस बोर्ड पर प्रकाशन कराये जाने के अनुरोध के साथ।

2. महाप्रबंधक (जनसंपर्क), एनसीएल---रोजगार समाचार पत्र तथा हिन्दी और अंग्रेजी के अन्य समाचार पत्रों में प्रकाशन के लिए ।

3. महाप्रबंधक (प्रणाली), एनसीएल वेबसाइट पर अपलोड करायेजाने हेतु।

4. अपरेंटिस एडवाइजर (केन्द्रीय), **RDAT,** उद्योग नगर,कानपुर **208022**----- व्यापक प्रचार के लिए

5. जिला रोजगार अधिकारी, सिंगरौली / सोनभद्र--- व्यापक प्रचार के लिए

6. सभी नोटिस बोर्ड।

कौशल भारत अभियान का कोल इंडिया समर्थन करता है।

नॉर्दन कोलफील्ड्स लिमिटेड

(एक मिनिरत्न कंपनी) भारत सरकार का उपक्रम

कार्यालय, महाप्रबंधक(मानव संसाधन विकास) सी.ई.टी.आई.

पोस्ट: सिंगरौली कोलियरी, जिला-सिंगरौली (मध्यप्रदेश)- 486889

ट्रेड प्रशिक्षु (फिटर, वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन) के लिए आवेदन

आवेदक का नवीनतम कलर फोटो

1) अपरेंटिस पोर्टल NAPS पंजीकरण संख्या

(www.apprenticeship.gov.in पर पंजीकरण अनुसार)

2) नाम (अंग्रजी के बड़े अक्षरों में) मैट्रिक प्रमाण पत्र / अंक पत्र या अंतिम स्कूल छोड़ने के प्रमाण पत्र के अनुसार

3) वर्ग -चिन्हित करें (√)

पुरुष	महिला	अन्य

4) पिता का नाम

5) जन्मतिथि

D	D	M	M	Y	Y	Y	Y

6) धर्म - चिन्हित करें (√)

हिन्दू	इस्लाम	सिख	इसाई	अन्य

7) जाति /श्रेणी/- चिन्हित करें (√)

सामान्य	अ.पि.वर्ग	अनु.जाति	अनु. जनजाति

8) क्या शारीरिक रूप से विकलांग हैं चिन्हित करें (√)

हां	नहीं

यदि हाँ तो विकलांगता का प्रकार तथा प्रतिशत का विवरण दें

(सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र संलग्न करें)

9) स्थायी पता

मकान संख्या……………………	शहर:……………………
ग्राम/मंडल:……………............	राज्य :……………………
जिला :…………………..	पिनकोड:…………………

10) पत्राचार पता

मकान संख्या……………………	शहर:……………………
ग्राम/मंडल:……………............	राज्य :……………………
जिला :…………………..	पिनकोड:…………………

11) तकनीकी अहर्ता

उत्तीर्ण परीक्षा	संस्थान का नाम एवं पता	ट्रेड	पाठ्यक्रम सम्यावधि	उत्तीर्ण वर्ष	कुल प्राप्तांक	कुल अंक	प्रतिसत में प्राप्तांक
ITI			From : To:				

12) मोबाइल न.. ………………………… टेलीफोन न.………………………

13) ईमेल पता ……………………………….

मैं घोषणा करता हूं की इस आवेदन में उल्लेखित समस्त विवरण सही है । मैंने जो भी प्रमाण पत्र या कागजात की प्रतिहस्ताक्षरित प्रति अपने आवेदन के साथ संलग्न किया है वे सभी सही हैं।
मैंने विज्ञापन को ध्यान से पढ़ा है। मुझे पता है कि इस मामले में यदि मैंने किसी भी तरह की गलत जानकारी दी या विज्ञापन के अनुसार मानदंड को पूरा नहीं करता हूँ तो मेरे / मेरे वार्ड के आवेदन को बिना किसी पूर्व सूचना के किसी भी स्तर पर खारिज कर दिया जायेगा। मै/मेरा वार्ड किसी भी प्रकार से भाविष्य में एनसीएल में रोजगार का दावा प्रस्तुत नहीं करूँगा/करेगा।

स्थान : ____________________

दिनांक : ____________________

आवेदक के हस्ताक्षर

आवेदक के पिता/अभिभावक की हस्ताक्षर